[2021] 1 एस. सी. आर 879

ए. सुब्रमण्यन और ए. एन. आर.

वी.

आर. पैनर्सेल्वम

(2010 की सिविल अपील सं. 9472)

फरवरी 08,2021

[अशोक भूषण, आर. सुभाष रेड्डी

और एम. आर. शाह, जे. जे.]

मुकदमा-स्थायी निषेधाज्ञा के लिए-वादी-प्रतिवादी ने स्थायी निषेधाज्ञा के लिए मुकदमा दायर किया जिसमें प्रतिवादियों-अपीलकर्ताओं को मुकदमे की संपत्ति पर वादी के शांतिपूर्ण कब्जे और आनंद में खलल डालने का आदेश दिया गया था-वादी का मामला यह था कि उसने इसे खरीदा था एक 'डी' के वंशजों से संपत्ति और 'डी' के कानूनी उत्तराधिकारियों द्वारा निष्पादित पावर ऑफ अटॉर्नी के साथ उनके दावे का समर्थन किया, दिनांकित बिक्री विलेख

16.07.2001 , 'डी' के पक्ष में दिनांकित 14.03.1946 का बिक्री विलेख और दिनांकित 27.02.2001 की गृह कर रसीद-प्रतिवादी ने इस दावे का खंडन किया

वादी-विचारण न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि वादी का संपत्ति पर अधिकार है, वादी का कब्जा भी साबित हुआ

हालांकि, प्रथम अपीलीय न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि वादी संपत्ति पर अधिकार स्थापित करने में विफल रहा-उच्च न्यायालय ने पाया कि पहले अपीलकर्ता-प्रतिवादी ने उसी मुकदमे की संपत्ति के कब्जे की घोषणा और वसूली के लिए मुकदमा दायर किया था

और इसे विचारण न्यायालय द्वारा खारिज कर दिया गया और अपील को भी खारिज कर दिया गया-इसलिए, पिछली कार्यवाही के लिए अंतिमता प्राप्त की गई थी कि प्रतिवादी के पास न तो अधिकार था और न ही वाद संपत्ति का कब्जा था-उच्च न्यायालय ने उसी पर विचार करने के बाद वादी के पक्ष में निषेधाज्ञा देने वाले विचारण न्यायालय के फैसले की पुष्टि की -

अपील की गईः तत्काल मामले में, इस अपील को जन्म देने वाला वर्तमान मुकदमा, स्वामित्व और कब्जे की घोषणा के लिए मुकदमा नहीं था, बल्कि मुकदमा निषेधाज्ञा के लिए दायर किया गया था-उच्च न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित करने के लिए ठोस कारण दिए हैं कि वादी द्वारा निषेधाज्ञा के लिए दायर किया गया मुकदमा वर्तमान मामले के तथ्यों में वादी के स्वामित्व में प्रवेश किए बिना बनाए रखने योग्य था, विशेष रूप से पिछली मुकदमेबाजी को देखते हुए जो प्रतिवादी के कहने पर शुरू की गई थी, जहां वह उसी संपत्ति की घोषणा और कब्जे की वसूली के लिए मुकदमा हार गया था, इसलिए, प्रतिवादी कब्जे में होने की याचिका नहीं कर सकता है और यह भी, जब प्रतिवादी ने स्वीकार किया था कि वादी अधिकार में था।

अधिकार-विचारण न्यायालय के साथ-साथ उच्च न्यायालय ने भी देखा है

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

न केवल मौखिक साक्ष्य में बल्कि प्रतिवादी की ओर से दायर किए गए प्रदर्शनों में-इस प्रकार, के निर्णय में कोई त्रुटि नहीं है उच्च न्यायालय।

याचिका खारिज करते हुए कोर्ट ने कहा,

पकड़नाः 1. वर्तमान मामले में उच्च न्यायालय ने दो मुख्य कारणों से वादी के कब्जे को बरकरार रखा था। सबसे पहले, मुकदमे के प्रतिवादी ने पहले संपत्ति के प्रबंधक के खिलाफ उसी संपत्ति के लिए कब्जे की वसूली और घोषणा के लिए मुकदमा दायर किया था, जिसे खारिज कर दिया गया था और कब्जे की वसूली को खारिज कर दिया गया था, प्रतिवादी एक याचिका भी कब्जे में नहीं कर सकता है और दूसरा प्रतिवादी ने अपनी प्रतिपरीक्षा में खुद स्वीकार किया कि वादी ने खरीद के बाद निर्माण को ध्वस्त कर दिया था। [पैरा 20] [889-ए-बी]

2. उच्च न्यायालय का यह भी विचार सही था कि यह कानून का एक सामान्य सिद्धांत है कि अतिक्रमणकर्ता, जो संपत्ति के स्थापित कब्जे में है, भी निषेधाज्ञा प्राप्त कर सकता है। हालाँकि, मामला अलग होगा, यदि वादी स्वयं स्वामित्व विवाद के बारे में शिकायत में विस्तार से बताता है और निषेधाज्ञा राहत के साथ स्वामित्व की घोषणा के लिए प्रार्थना करने में विफल रहता है। उच्च न्यायालय ने ठीक ही कहा है कि वाद का एक खाली अवलोकन यह प्रदर्शित करेगा कि वादी ने स्वामित्व विवाद के बारे में कुछ भी नहीं बताया है क्योंकि स्पष्ट रूप से इस तथ्य के कारण कि पिछली मुकदमेबाजी में, डी. डब्ल्यू. 1 कोई राहत प्राप्त करने में विफल रहा था। उच्च न्यायालय ने ठीक ही कहा है कि यह सिद्धांत कि वादी घोषणा के लिए अनुरोध किए बिना स्थायी निषेधाज्ञा की मांग नहीं कर सकता है, वर्तमान मामले के तथ्यों पर लागू नहीं होता है। [पैरा 21] [889-जी-एच; 890-ए]

3.वर्तमान मामले में इस अपील को जन्म देने वाला वर्तमान मुकदमा, स्वामित्व और अधिकार की घोषणा के लिए मुकदमा नहीं था, बल्कि मुकदमा निषेधाज्ञा के लिए दायर किया गया था। जैसा कि उल्लेख किया गया है, उच्च न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित करने के लिए ठोस कारण दिए हैं कि वादी द्वारा दायर मुकदमा

वर्तमान मामले के तथ्यों में वादी के स्वामित्व में प्रवेश किए बिना निषेधाज्ञा बनाए रखने योग्य थी, विशेष रूप से पिछली मुकदमेबाजी को देखते हुए जो प्रतिवादी संख्या 1 के कहने पर शुरू की गई थी, जहां वह घोषणा और वसूली के लिए मुकदमा हार गया था।

एक ही संपत्ति का अधिकार। प्रस्तुतिकरण

अपीलकर्ताओं ने कहा कि प्रतिवादी द्वारा दायर साक्ष्य को A.SUBRAMANIAN और ए. एन. आर. नहीं देखा गया था।

सही नहीं है। निचली अदालत के साथ-साथ उच्च न्यायालय ने न केवल मौखिक साक्ष्य पर ध्यान दिया है, बल्कि प्रतिवादी की ओर से दायर किए गए साक्ष्यों पर भी ध्यान दिया है, जो उच्च न्यायालय द्वारा की गई चर्चा से स्पष्ट है। [पैरा 25] [891-एफ-एच; 892-ए]

4. इस न्यायालय को इस दृष्टि से कोई त्रुटि नहीं मिलती है कि

उच्च न्यायालय ने कहा कि प्रदर्शनी ए-1 और ए-2 की वैधता में प्रवेश करना आवश्यक नहीं था और वादी द्वारा दायर निषेधाज्ञा के लिए मुकदमा स्वीकार और स्थापित के आधार पर निर्णय के योग्य था। वादी का अधिकार। इस प्रकार, इस न्यायालय को दूसरी अपील की अनुमति देने वाले उच्च न्यायालय के फैसले में कोई त्रुटि नहीं मिलती है

वादी द्वारा प्रथम अपीलीय न्यायालय के फैसले को दरकिनार करके और निचली अदालत के फैसले को बहाल करके दायर किया गया।

[पैरा 26] [892-बी]

नगर पालिका, जींद बनाम जगत सिंह, अधिवक्ता (1995) 3

एससीसी 426: [1995] 3 एस. सी. आर. 9; यमुना नगर

सुधार न्यास बनाम खरियाती लाल (2005) 10 एस. सी. सी. 30; जगदीश प्रसाद पटेल (मृत) कानूनी माध्यम से

प्रतिनिधि और एक अन्य बनाम शिवनाथ और अन्य

(2019) 6 एससीसी 82: [2019] 6 एस. सी. आर. 518; अजेंद्र प्रसादजी नरेंद्र प्रसादजी पांडे बनाम स्वामी के.

नारायणदासजी और अन्य (2005) 10 एससीसी 11: [2005]

1 पूरक। एस. सी. आर. 392; नायर सर्विस सोसाइटी लिमिटेड बनाम के. सी.

अलेक्जेंडर और अन्य एआईआर 1968 एससी 1165: [1968] एससीआर

163 - संदर्भित किया गया।

पैरी वी. क्लिसोल्ड (1907) एसी 73-संदर्भित।

मामला कानून संदर्भ

(2005) 10 एससीसी 30

पै

रा 11

संदर्भित किया गया है

[1995] 3 एस. सी. आर 9

संदर्भित किया गया है

पारस 11,18

[1968] एससीआर 163

पै

रा 22

संदर्भित किया गया है

[2005] 1 पूरक। एससीआर 392

संदर्भित किया गया है

पै

रा 22

[2019] 6 एससीआर 518

पारस 11,24

संदर्भित किया गया है

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णयः सिविल अपील सं. 9472

2010 से।

द्वारा पारित 28.04.2009 दिनांकित निर्णय और आदेश से

2009 के एस. ए. सं. 39 में मद्रास में उच्च न्यायालय।

21] 1 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

सुश्री के. अभिरामे, वी. राघवचारी और जी. बालाजी, अधिवक्ता। के लिए

याचिकाकर्ता।

वी. प्रभाकर, सुश्री ई. आर. सुमती, सुश्री ज्योति पाराशर, एन. जे.

रामचंद्र और सुश्री एस. स्पंदना रेड्डी, अधिवक्ता। उत्तरदाता के लिए।

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

अशोक भूषण, जे।

1. यह अपील प्रतिवादियों द्वारा दीवानी मुकदमे में दायर की गई है।

मद्रास उच्च न्यायालय के दिनांकित 28.04.2009 निर्णय को चुनौती देते हुए

2009 की दूसरी अपील No.39 जिसके निर्णय द्वारा उच्च न्यायालय ने 2005 के ए. एस. No.172 में दिनांकित 26.11.2008 प्रथम अपीलीय न्यायालय के फैसले को दरकिनार करते हुए वादी की दूसरी अपील की अनुमति दी थी और 2002 के O.S.No.188 में दिनांकित 06.02.2004 के फैसले को बहाल किया था।

मुकदमे का फैसला सुनाने वाली निचली अदालत।

2. पार्टियों को मूल सूट में संदर्भित किया जाएगा।

इस अपील को जन्म देने वाले मामले के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं:

अपील करें,

वादी आर. पन्नीरसेल्वम, जो इस मामले में प्रतिवादी हैं।

वाद संपत्ति पर वादी के शांतिपूर्ण अधिकार और आनंद को बाधित करना। सूट संपत्ति का माप 1777-1/2 वर्ग मीटर था। फीट। जिसमें कलप्पनैकनपट्टी गाँव में स्थित सर्वेक्षण No.172/1 शामिल है। मुक़दमे में वादी का मामला यह था कि मुक़दमे की संपत्ति मूल रूप से किसकी थी थालामा नायडू के पुत्र धासी नायडू जो श्रीलंका गए थे।

फार्म लेबर और श्रीलंका में उनकी मृत्यु हो गई। धासी नायडू के बेटे, कृष्णसामी नायडू 1981 में भारत आए और सूट की संपत्ति और अन्य संपत्तियों को एक गनी साहिब को सौंपा, जो संपत्तियों का प्रबंधन और आनंद ले रहे थे।

3. वादी ने दावा किया कि उसने मुकदमे की संपत्ति खरीदी है

धासी नायडू के वंशजों से वैध विचार के लिए 16.07.2001 पर पंजीकृत विलेख। वादी का आगे का मामला यह था कि पहला प्रतिवादी पूर्व में सैन्य सैनिक था, और दूसरा प्रतिवादी जो पहले प्रतिवादी का दामाद था, पुलिस विभाग में सिपाही के रूप में काम कर रहा था, उसने वादी की शांति भंग करने का प्रयास किया।

सूट संपत्ति पर अधिकार और आनंद। इसलिए मुकदमा दायर किया गया था। अभियोग के साथ दाखिल किए गए दस्तावेज पावर ऑफ अटॉर्नी थे।

धासी नायडू दिनांक 22.05.2001, बिक्री विलेख A.SUBRAMANIAN और ए. एन. आर. के कानूनी उत्तराधिकारियों द्वारा निष्पादित।

वी. आर. पन्नेर्सेल्वम [अशोक भूषण, जे.]

धासी नायडू के पक्ष में दिनांकित 16.07.2001 और दिनांकित 14.03.1946 का बिक्री विलेख और दिनांकित 27.02.2001 की गृह कर रसीद। 4. प्रतिवादी संख्या 1 ने वादी के दावे का खंडन करते हुए लिखित बयान दायर किया; प्रतिवादी ने स्वीकार किया कि मुकदमे की संपत्ति धासी की थी

नायडू। प्रतिवादी ने दलील दी कि 16.07.2001 दिनांकित पंजीकृत बिक्री विलेख अपने आप में एक मनगढ़ंत और जाली है। तथाकथित कानूनी उत्तराधिकारी-धासी नायडू के वंशज, जैसा कि बिक्री विलेख में आरोप लगाया गया है, काल्पनिक हैं और उक्त धासी नायडू के सच्चे कानूनी उत्तराधिकारी नहीं हैं। मुक़दमे की संपत्ति का अधिकार ही संदिग्ध है, वादी ने ग़नी साहिब के साथ मिलकर सी. पी. सी. के आदेश VII नियम 14 के तहत दो विशेष शक्तियों और वादी को गढ़ा है। कहा कि दस्तावेजों ने मुकदमा दायर किया था। प्रतिवादियों ने लिखित बयान में यह दावा किया था कि धासी नायडू के बेटे संजीवी नायडू ने एक पंजीकृत पावर ऑफ अटॉर्नी द्वारा मुकदमे की संपत्ति और अन्य संपत्तियां पी. रंगाराजू नायडू को सौंपी थीं, जिनकी बाद में मृत्यु हो गई, जो अपनी एकमात्र कानूनी उत्तराधिकारी श्रीमती अर्जुन देवी को पीछे छोड़ गए, जिनकी मृत्यु हो गई और वे अपनी बेटियों, नालंदा, इंदिरा और गुणबरथी को पीछे छोड़ गए। प्रतिवादी संख्या 1 ने अपनी तीन बेटियों की ओर से गनी साहिब के खिलाफ एक मुकदमा दायर किया जिसमें उनकी किरायेदारी पर सवाल उठाया गया था जिसे खारिज कर दिया गया था और 1994 की A.S.No.297 होने के कारण अपील में लिया गया था।

5. वादी ने खुद को पीडब्लू. 1 के रूप में जांच किया। प्रतिवादी ने डी. डब्ल्यू. 1 से डी. डब्ल्यू. 6 की जांच की। वादी ने सात प्रदर्शन दाखिल किए। निचली अदालत ने निम्नलिखित तीन मुद्दों को तैयार किया:

" क) क्या वाद में वादी द्वारा माँगा गया स्थायी निषेधाज्ञा उसके लिए उपलब्ध है?

ख) प्रतिवादियों का बयान है कि वादी नहीं है

सूट संपत्ति का वास्तविक मालिक सही है? ग) वादी को कौन-सी अन्य राहतें उपलब्ध हैं?

6. ट्रायल कोर्ट ने माना कि आई. डी. 1 दिनांकित पावर ऑफ अटॉर्नी श्रीलंका में तैयार किया गया था और नामक्कल उप-पंजीयक के कार्यालय में पंजीकृत किया गया था। वादी की ओर से दाखिल किए गए दस्तावेज़ प्रदर्शनी पीडब्लू1 हैं।

और पीडब्लू2। निचली अदालत ने फैसला सुनाया कि वादी का संपत्ति पर अधिकार है,

वादी का कब्जा भी साबित हुआ। निचली अदालत ने मुकदमे का फैसला सुनाया।

7. प्रतिवादियों ने उप न्यायालय के समक्ष एक अपील दायर की, नामक्कल 2005 का ए. एस. No.172 था। प्रथम अपीलीय न्यायालय ने प्रवेश किया पावर ऑफ अटॉर्नी की वैधता पीडब्लू1 और पीडब्लू2 को प्रदर्शित करती है और कहा कि [2021] 1 एस. सी. आर.

प्रदर्शनी पीडब्लू1 संदिग्ध परिवेश की परिस्थितियों में है। सबसे पहले

हालाँकि, अपीलीय न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचा कि विदेश में लिखे गए शक्ति विलेख को पंजीकृत करने की आवश्यकता नहीं है। प्रथम अपीलीय न्यायालय, आगे, इस निष्कर्ष पर पहुँचा कि पावर ऑफ अटॉर्नी, प्रदर्शनी पीडब्लू1 का निष्पादन और प्रमाणीकरण साबित नहीं हुआ है, बिक्री विलेख प्रदर्शनी पीडब्लू2 भी प्रतिकूल रूप से प्रभावित है। इसलिए, वादी मुकदमे की संपत्ति पर अपना अधिकार स्थापित करने में विफल रहा है। प्रथम अपीलीय न्यायालय ने आगे पाया है कि प्रतिवादी संख्या 1 ने O.S.No स्थापित किया था। 1987 का 524 जो उसी संपत्ति के लिए था जिसमें प्रतिवादी संख्या 1 ने घोषणा का दावा किया था और

अपने और अपनी तीन बेटियों के लिए संपत्ति का कब्जा जो मुकदमा खारिज कर दिया गया है, प्रतिवादी यह भी साबित नहीं कर पाया है कि मुकदमा संपत्ति प्रतिवादी संख्या 1 की तीन बेटियों की थी और कब्जा उनके पास है। प्रथम अपीलीय न्यायालय ने अपील को स्वीकार कर लिया और इस आधार पर आदेश को रद्द कर दिया कि वादी साबित करने में विफल रहा था उसका शीर्षक। प्रथम अपीलीय न्यायालय के फैसले से व्यथित होकर वादी ने दूसरी अपील दायर की है।

8. उच्च न्यायालय ने अपने दिनांकित 28.04.2009 के फैसले के माध्यम से कानून के तीन महत्वपूर्ण प्रश्नों की पुष्टि करते हुए दूसरी अपील की अनुमति दी।

वादी के पक्ष में निषेधाज्ञा प्रदान करने वाली विचारण अदालत की डिक्री। उच्च न्यायालय ने पाया कि प्रतिवादी ने मुकदमे की संपत्ति के कब्जे की घोषणा और वसूली के लिए 1987 का मूल मुकदमा No.524 दायर किया था

जिसे विचारण न्यायालय द्वारा खारिज कर दिया गया था, जिसके विरुद्ध 1994 का ए. एस. भी खारिज कर दिया गया था, पिछली कार्यवाहियों के लिए अंतिमता प्राप्त की गई थी कि प्रतिवादी के पास न तो अधिकार है और न ही वाद संपत्ति का कब्जा है और वादी का कब्जा प्रतिवादी द्वारा स्वीकार किए जाने के बाद, वादी का मुकदमा आदेश दिए जाने के योग्य है। उच्च न्यायालय का यह भी विचार था कि प्रथम अपीलीय न्यायालय को प्रदर्शनी ए-1 और ए-2 की वैधता में प्रवेश नहीं करना चाहिए था। उच्च न्यायालय ने याचिका को स्वीकार कर लिया। उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ पीड़ित प्रतिवादी इस अपील में आए हैं। 9. अपीलार्थियों की ओर से विद्वान वकील सुश्री के. अभिरामे और प्रत्यर्थी की ओर से विद्वान वकील श्री वी. प्रभाकर पेश हुए हैं।

10. अपीलार्थियों के विद्वान वकील प्रस्तुत करते हैं कि वादी ने दिनांकित बिक्री विलेख के आधार पर वाद संपत्ति के अधिकार का दावा किया है, जो कि बिक्री विलेख वैध नहीं पाया गया था, क्योंकि धासी नायडू के उत्तराधिकारियों द्वारा उचित शक्ति द्वारा निष्पादित नहीं किया गया था, वादी का मुकदमा खारिज होने योग्य था। यह प्रस्तुत किया जाता है कि A.SUBRAMANIAN और ANR।

वी. आर. पन्नेर्सेल्वम [अशोक भूषण, जे.]

12. प्रत्यर्थी की ओर से पेश विद्वान वकील श्री वी. प्रभाकर ने अपीलकर्ताओं के वकील की प्रस्तुति का खंडन करते हुए तर्क दिया कि वादी ने सफलतापूर्वक अपने कब्जे को साबित कर दिया है जिसे भी स्वीकार किया गया था

प्रतिवादी द्वारा अपने बयान में, निषेधाज्ञा के लिए वाद का फैसला निचली अदालत द्वारा सही ढंग से किया गया था। यह प्रस्तुत किया जाता है कि संक्षेप में वादी ने पंजीकृत बिक्री विलेख द्वारा अपना अधिकार भी सफलतापूर्वक साबित कर दिया है। धासी नायडू के कानूनी उत्तराधिकारियों द्वारा निष्पादित पावर ऑफ अटॉर्नी के आधार पर एक पंजीकृत बिक्री विलेख द्वारा संपत्ति खरीदी गई थी। वकील की शक्ति के साथ

श्रीलंका में तैयार किया गया और उप-पंजीयक नामक्कल द्वारा पंजीकृत किया गया, प्रथम अपीलीय न्यायालय ने पावर ऑफ अटॉर्नी रखने में त्रुटि की ठीक से निष्पादित और प्रमाणित नहीं। यह प्रस्तुत किया जाता है कि वादी ने पुराने ढांचे को ध्वस्त कर दिया है जो रिकॉर्ड पर साक्ष्य से साबित होता है, प्रतिवादी द्वारा वादी के कब्जे से इनकार नहीं किया जा सकता है। प्रतिवादी ने गनी साहिब के खिलाफ घोषणा के साथ-साथ मुकदमा संपत्ति के कब्जे की वसूली के लिए मुकदमा दायर किया है, संपत्ति के प्रबंधक को खारिज कर दिया गया है।

प्रतिवादी को वादी के मुकदमे का विरोध करने का अधिकार।

13. हमने पक्षों के लिए विद्वान वकील के प्रस्तुत करने पर विचार किया है और अभिलेखों का अवलोकन किया है।

14. वादी ने अपनी शिकायत में अधिकार और अधिकार का दावा किया, और प्रतिवादियों को वादी की शांति भंग करने से रोकने की मांग की।

सूट संपत्ति पर अधिकार और आनंद। मुकदमे में वादी ने निम्नलिखित राहतों के लिए प्रार्थना की है:

21] 1 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

स्थायी निषेधाज्ञा के माध्यम से

अ)

प्रतिवादी, और उनके आदमी को किसी भी तरह से वाद संपत्ति पर वादी के शांतिपूर्ण कब्जे और आनंद को बाधित करने से;

ख)

माननीय के रूप में और अधिक राहत या राहत प्रदान करके

अदालत मामले की परिस्थितियों में उपयुक्त समझती है;

प्रतिवादियों द्वारा मुकदमे की लागत का अधिनिर्णय और इस प्रकार

(ग)

न्याय दें "।

15. निचली अदालत ने पाया कि वादी ने अपना अधिकार साबित कर दिया है

संपत्ति के साथ-साथ अधिकार, वह निषेधाज्ञा की डिक्री का हकदार था। तीनों अदालतों ने प्रतिवादियों द्वारा दायर 1987 के पहले के मुकदमे का उल्लेख किया है, जिसे निचली अदालत ने खारिज कर दिया था और जिसके खिलाफ 1994 का ए. एस. <आई. डी. 1 होने की अपील को भी खारिज कर दिया गया था, जो वादी द्वारा निचली अदालत के समक्ष लाए गए निर्णय थे। निचली अदालत के 1987 के ओ. एस. <आई. डी. 2 में दिनांकित 23.11.1992 के फैसले की प्रति को अनुलग्नक पी5 के रूप में रिकॉर्ड में लाया गया है। प्रतिवादी नंबर 1 द्वारा अपनी तीन नाबालिग बेटियों के साथ मुकदमा दायर किया गया था और वह पिता, अभिभावक और बेटियों के अगले दोस्त होने के नाते, 1987 के ओ. एस. No.524 के वादी ने श्री पी. रंगाराजू नायडू के माध्यम से मुकदमे की संपत्ति पर अधिकार का दावा किया था। गनी साहिब, जो प्रबंधक थे, को प्रतिवादी के रूप में शामिल किया गया और घोषणा और कब्जे और स्थायी निषेधाज्ञा के लिए मुकदमा दायर किया गया। प्रतिवादी ने उस मुकदमे का विरोध किया जहां प्रतिवादी ने याचिका दायर की कि संपत्ति धासी नायडू की है, जिनके बेटे कृष्णसामी नायडू भारत आए और मुकदमे की संपत्ति का प्रबंधन करने के लिए प्रतिवादी के पक्ष में पावर ऑफ अटॉर्नी का निष्पादन किया, तब से प्रतिवादी कब्जे में था और उपयोगकर्ता था। निचली अदालत ने माना कि वादी अपने अधिकार के साथ-साथ अधिकार भी साबित करने में विफल रहा है। प्रतिवादी के कब्जे को सुब्रमण्यन द्वारा स्वीकार किया गया था जो उक्त मुकदमे में वादी थे। निचली अदालत ने फैसले के पैराग्राफ 11 में निम्नलिखित निर्णय दियाः

" 11. ... . इस मुकदमे में, वादी द्वारा यह स्वीकार किया गया है कि प्रतिवादी के पास मुकदमे की संपत्तियों का कब्जा है। इसके तहत

परिस्थितियों के बाद से वादी ने स्वीकार किया है कि प्रतिवादी मुकदमे की संपत्तियों के कब्जे में है, यह माना जाता है कि भले ही प्रतिवादी ने प्रतिवादी के पक्ष में कृष्णसामी द्वारा निष्पादित पावर ऑफ अटॉर्नी को पेश नहीं किया है, लेकिन बयान में डी. डब्ल्यू. 1 ने दावा किया है कि प्रतिवादी कृष्णसामी की शक्ति है जो स्वीकार्य है। डी. डब्ल्यू. 2 के बयान से यह माना जाता है कि A.SUBRAMANIAN और ए. एन. आर.।

वी. आर. पन्नेर्सेल्वम [अशोक भूषण, जे.]

संजीवी नायडू, नल्लू नायडू और कृष्णसामी नायडू को अपने कानूनी उत्तराधिकारी के रूप में छोड़ते हुए दासी नायडू की मृत्यु हो गई। यह भी माना जाता है कि

प्रतिवादी के कब्जे में है और कृष्णसामी के शक्ति एजेंट के रूप में अपनी क्षमता में मुकदमा संपत्ति का प्रबंधन कर रहा है और प्रतिवादी नहीं है मुकदमा संपत्ति में एक किरायेदार और तदनुसार जारी संख्या 2 और 5 का क्रमशः जवाब दिया जाता है। ..... "

16. सुब्रमण्यन द्वारा दायर घोषणा और कब्जे के मुकदमे को खारिज कर दिया गया था जिसके खिलाफ 1994 का ए. एस. No.297 दायर किया गया था जो था

जिला न्यायालय, सलेम द्वारा 08.09.1995 पर खारिज कर दिया गया।

17. उच्च न्यायालय ने अपने फैसले में पहले की मुकदमेबाजी का सही उल्लेख किया है और कहा है कि सुब्रमण्यन और उनकी तीन बेटियों द्वारा दायर पहले के मुकदमे में निष्कर्षों को देखते हुए यह अभिनिर्धारित करने के लिए पर्याप्त है कि प्रतिवादियों के पास मुकदमे की संपत्ति का कब्जा नहीं है। उच्च न्यायालय ने यह भी उचित रूप से कहा है कि वादी का अधिकार स्वयं प्रतिवादी द्वारा मुकदमे में की गई स्वीकारोक्ति पर आधारित है। पैराग्राफ 24 में, उच्च न्यायालय ने कहा हैः

" 24 ..... वादी का अधिकार स्वयं प्रतिवादियों द्वारा की गई स्वीकारोक्ति और पिछली कार्यवाही के तथ्य पर आधारित है, जिसे डी-1 ने शुरू किया और उसके वाटरलू से मुलाकात की।

18. अपीलार्थियों के वकील द्वारा जो निवेदन किया गया है, वह यह है कि वाद में, वादी ने अपने अधिकार और अधिकार का दावा किया है, उच्च न्यायालय ने वादी के अधिकार के प्रश्न में प्रवेश नहीं करने में त्रुटि की है और वादी के अधिकार का निर्धारण किए बिना वाद का आदेश नहीं दिया जाना चाहिए था। अपीलार्थियों के विद्वान वकील ने नगर पालिका, जींद बनाम जगत सिंह, अधिवक्ता, (1995) 3 एस. सी. सी. 426 में इस न्यायालय के फैसले पर भरोसा किया है। उपरोक्त मामले में प्रतिवादी द्वारा निषेधाज्ञा के लिए मुकदमा दायर किया गया था जिसका नगर निगम द्वारा विरोध किया गया था

समिति इस आधार पर कि प्रत्यर्थी न तो विचाराधीन भूमि का मालिक था और न ही उसके कब्जे में था। निचली अदालत ने मुकदमा खारिज कर दिया। पहली अपीलीय अदालत ने मुकदमे का फैसला सुनाया था और दूसरी अपील को उच्च न्यायालय ने खारिज कर दिया था। नगर पालिका ने इस अदालत में अपील दायर की। नगर पालिका द्वारा इस अदालत के समक्ष तर्क दिया गया था कि न्यायालय इस धारणा पर आगे बढ़ा कि बिक्री विलेख के माध्यम से स्वामित्व का अधिग्रहण जो उच्च न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया है, मामले में तथ्य स्वीकार किया गया था और नगर समिति द्वारा कभी भी सवाल नहीं उठाया गया था। इस न्यायालय ने पैराग्राफ 6 में प्रथम अपीलीय न्यायालय के फैसले को अस्वीकार करते हुए निम्नलिखित निर्णय दियाः

" 6. प्रत्यर्थी की ओर से पेश वकील यह नहीं बता सका कि नगरपालिका समिति द्वारा अपने लिखित बयान में प्रत्यर्थी के स्वामित्व और कब्जे से इस तरह के स्पष्ट इनकार के बावजूद, अपील न्यायालय इस धारणा पर आगे बढ़ा कि बिक्री विलेख के माध्यम से स्वामित्व का अधिग्रहण, जिसे अदालत के समक्ष पेश नहीं किया गया था, मामले में एक स्वीकृत तथ्य था और नगर समिति द्वारा कभी भी सवाल नहीं किया गया था। हमारे अनुसार, जब अपील न्यायालय ने विचाराधीन बिक्री विलेख के माध्यम से प्रत्यर्थी द्वारा खरीद की कथित तिथि के बाद उसके कब्जे से संबंधित साक्ष्य पर विचार करने के लिए आगे बढ़ा, जिसे कभी भी न्यायालय के समक्ष पेश नहीं किया गया था, तो अपील न्यायालय ने एक गंभीर त्रुटि की। इसने कभी भी मुख्य मुद्दे पर अपना दिमाग नहीं लगाया, स्वामित्व के आधार पर एक मुकदमे में, क्या प्रतिवादी ने मुकदमे की संपत्ति पर अपना अधिकार साबित किया था। इस बात पर विवाद नहीं किया जा सकता है कि विचाराधीन संपत्ति पर अपना अधिकार साबित करने की जिम्मेदारी उक्त पर थी

उत्तरदाता। यह आगे प्रतीत होता है कि अपीलार्थी की ओर से अपील न्यायालय के समक्ष यह इंगित किया गया था कि उक्त

प्रत्यर्थी पट्टी में सह-शेयरों में से एक के हिस्से का दावा कर रहा था, लेकिन कोई भी सह-भागीदार संयुक्त संपत्ति के किसी विशिष्ट हिस्से पर अधिकार नहीं दे सकता है। हालांकि में बुनियादी मुद्दों पर विचार करने के लिए छोड़ दिया मामले में, अपील न्यायालय ने केवल वर्ष के लिए जामबंधु की तरह वर्ष 1974-75 के राजस्व रिकॉर्ड पर विचार करने के लिए आगे बढ़े

1974-75 और वर्ष 1977-79 से संबंधित खसरा गिरदवारी।

19. मुक़दमे में प्रतिवादी द्वारा यह रुख अपनाया गया था कि मुक़दमे को विशिष्ट राहत अधिनियम, 1963 की धारा 6 के तहत माना जाए। यह न्यायालय

उपरोक्त प्रस्तुतिकरण को निरस्त कर दिया। पैराग्राफ 9 में, धारा 6 के आधार पर प्रतिवादी की याचिका को इस न्यायालय द्वारा निम्नलिखित टिप्पणी करके खारिज कर दिया गया थाः

" 9. हम इस बात की सराहना करने में विफल हैं कि विशिष्ट राहत अधिनियम, 1963 की धारा 6 के सिद्धांत को तथ्यों में कैसे लागू किया जा सकता है और

वर्तमान मामले की परिस्थितियाँ। प्रतिवादी, जो वादी था, ने कभी यह आरोप नहीं लगाया कि उसे अपीलार्थी-नगर समिति द्वारा बेदखल कर दिया गया था। दूसरी ओर, उन्होंने दावा किया कि

विचाराधीन भूमि का स्वामी होना और दावा करना कि उस पर उसका कब्जा था। उन्होंने अपीलार्थी को उसके कब्जे में हस्तक्षेप करने से रोकने के लिए स्थायी निषेधाज्ञा की मांग की। दोनों पक्षों ने अपने-अपने दावों के समर्थन में सबूत पेश किए

शीर्षक के प्रश्न सहित। "

20. वर्तमान मामले में उच्च न्यायालय ने दो मुख्य कारणों से वादी के कब्जे को बरकरार रखा था। सबसे पहले, मुकदमे के प्रतिवादी, सुब्रमण्यन ने पहले कब्जे की वसूली के लिए मुकदमा दायर किया था और

उसी संपत्ति के लिए गनी साहिब के खिलाफ घोषणा जो प्रबंधक थे

जिस संपत्ति का मुकदमा खारिज कर दिया गया था और कब्जे की वसूली खारिज कर दी गई थी, प्रतिवादी अपने कब्जे में होने का अनुरोध भी नहीं कर सकता है और दूसरा प्रतिवादी खुद अपनी प्रतिपरीक्षा में

यह स्वीकार किया कि वादी ने खरीद के बाद निर्माण को ध्वस्त कर दिया था। उच्च न्यायालय ने अपने फैसले के पैराग्राफ 13 में क्रॉस के दौरान डी. डब्ल्यू. 1 के बयान से प्रासंगिक अंश निकाले हैं।

जाँच। डी. डब्ल्यू. 1 के बयान को उद्धृत करने के बाद फैसले के पैराग्राफ 13 में उच्च न्यायालय ने कहाः

" 13 ..... उन अंशों का एक नंगे अवलोकन स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करेगा

कैसे डी. डब्ल्यू. 1 (डी. 1) आधे के हद तक चला गया-आंशिक रूप से वास्तविकता को स्वीकार करते हुए) और सच बोलने की कोई जिम्मेदारी लिए बिना बाकी सच्चाई का खंडन किया। प्राप्त करने के लिए

मुकदमे की लड़ाई में सफलता, हुक या क्रूक द्वारा, डी-1 इस अदालत के समक्ष अभिवचन करने की सीमा तक गई जो इसके लिए काफी विरोधाभासी थी

1987 के O.S.No.524 और ए. एस. में निर्णय और फरमान। 1994 का No.297 (Exs.A-3, ए-5, ए-6 और ए-7) कि पिछला मुकदमा वाद संपत्ति के कब्जे की वसूली के लिए नहीं था। लेकिन, वे

निर्णय और फरमान स्पष्ट रूप से इंगित करते हैं कि पहले का मुकदमा

डी-1 और उसके तीन बच्चों द्वारा मुकदमा संपत्ति सहित पूरी संपत्ति के कब्जे की घोषणा और वसूली के लिए दायर किया गया था। उक्त पिछले मुकदमे में, पहला प्रतिवादी और उसके कानूनी उत्तराधिकारी

उन्होंने तर्क दिया कि उन्होंने अपने मूल छिद्रों से शीर्षक प्राप्त किया रंगराजुलु नायडू ने एक शक्ति विलेख के तहत मुकदमा संपत्ति प्राप्त की और वे दोनों अदालतों में विफल रहे। इस प्रकार, यह अभिनिर्धारित करने के लिए पर्याप्त से बहुत अधिक है कि प्रतिवादी मुकदमे की संपत्ति के कब्जे में नहीं हैं।

21. उच्च न्यायालय का यह भी विचार सही था कि यह कानून का एक सामान्य सिद्धांत है जो अतिक्रमण करने वाले को भी, जो स्थापित कब्जे में है।

संपत्ति निषेधाज्ञा प्राप्त कर सकती है। हालाँकि, मामला अलग होगा, यदि वादी स्वयं स्वामित्व विवाद के बारे में शिकायत में विस्तार से बताता है और निषेधाज्ञा राहत के साथ स्वामित्व की घोषणा के लिए प्रार्थना करने में विफल रहता है। उच्च न्यायालय ने ठीक ही कहा है कि वाद का एक नंगे अवलोकन यह प्रदर्शित करेगा कि

वादी ने स्वामित्व विवाद के बारे में कुछ भी नहीं बताया है क्योंकि स्पष्ट रूप से इस तथ्य के कारण कि पिछली मुकदमेबाजी में, [2021] 1 एस. सी. आर.

डी. डब्ल्यू. 1 को कोई राहत नहीं मिली। उच्च न्यायालय ने ठीक ही कहा है कि यह सिद्धांत कि वादी घोषणा के लिए अनुरोध किए बिना स्थायी निषेधाज्ञा की मांग नहीं कर सकता है, वर्तमान मामले के तथ्यों पर लागू नहीं होता है।

22. हम नायर सर्विस सोसाइटी लिमिटेड बनाम नायर सर्विस सोसाइटी लिमिटेड के. सी. अलेक्जेंडर और अन्य, ए. आई. आर 1968 एस. सी. 1165,

जहाँ न्यायमूर्ति हिदायतुल्ला की अध्यक्षता में इस न्यायालय की तीन न्यायाधीशों की पीठ ने इस सिद्धांत को दोहराया है कि अधिकार सभी के खिलाफ अच्छा है, लेकिन असली मालिक के खिलाफ। पैरी v में न्यायिक समिति के निर्णय में उल्लिखित सिद्धांत। क्लिसोल्ड, (1907) ए. सी. 73, को पैराग्राफ 17 में निम्नलिखित प्रभाव से देखा गया थाः

" (17) हमारे निर्णय में यह हमारी समस्या के लिए एक गलत दृष्टिकोण शामिल है। अपने अर्थ को व्यक्त करने के लिए हम 1907 ए. सी. 73 को पढ़कर शुरू कर सकते हैं, यह पता लगाने के लिए कि क्या इस सिद्धांत के खिलाफ कब्जा करना अच्छा है।

असली मालिक को छोड़कर सभी किसी भी तरह से अलग हो गए हैं। 1907 ए. सी. 73 ने काफी स्पष्ट रूप से बताते हुए सिद्धांत की पुष्टि कीः

" इस बात पर विवाद नहीं किया जा सकता है कि मालिक के रूप में भूमि पर कब्जा करने वाले और स्वामित्व के सामान्य अधिकारों का शांतिपूर्ण ढंग से प्रयोग करने वाले व्यक्ति को पूरी दुनिया के खिलाफ एक पूरी तरह से अच्छा अधिकार है, लेकिन सही मालिक। और यदि सही मालिक आगे नहीं आता है और मामले में लागू सीमा के क़ानून के प्रावधानों द्वारा निर्धारित अवधि के भीतर कानून की प्रक्रिया द्वारा अपने अधिकार का दावा नहीं करता है, तो उसका अधिकार हमेशा के लिए समाप्त हो जाता है और स्वामित्व होता है।

मालिक एक पूर्ण उपाधि प्राप्त करता है।

23. फैसले के पैराग्राफ 22 में, बेंच ने 1907 ए. सी. 73 में इस उक्ति को मंजूरी दी।

24. अपीलार्थियों के विद्वान वकील ने अजेंद्र प्रसादजी नरेंद्र प्रसादजी पांडे बनाम स्वामी के. नारायणदासजी और अन्य (2005) 10 एस. सी. सी. 11 के मामले में इस न्यायालय के फैसले का भी उल्लेख किया है, जिसमें इस न्यायालय ने अस्थायी मंजूरी देने के लिए संचयी कारक को विस्तार से बताया है।

निषेधाज्ञा कौन सा मामला स्पष्ट रूप से अलग करने योग्य है और वर्तमान मामले में इसका कोई अनुप्रयोग नहीं है। अगले निर्णय के लिए विद्वान वकील द्वारा भरोसा किया गया

अपीलार्थी कानूनी प्रतिनिधियों और एक अन्य बनाम शिवनाथ और अन्य, (2019) 6 एस. सी. सी. 82 के माध्यम से जगदीश प्रसाद पटेल (मृत) में है। स्वामित्व और कब्जे की घोषणा के लिए वाद में उपरोक्त मामले में इस न्यायालय ने इस सिद्धांत को दोहराया कि स्वामित्व और कब्जे की घोषणा के लिए वाद वादी अपने A.SUBRAMANIAN और ए. एन. आर. के बल पर सफल होंगे।

वी. आर. पन्नेर्सेल्वम [अशोक भूषण, जे.]

प्रतिवादी अपना मामला साबित करते हैं या नहीं, इस बात की परवाह किए बिना अपना शीर्षक रखते हैं। पैराग्राफ 44 और 45 में निम्नलिखित उल्लेख किया गया थाः

" 44. स्वामित्व और अधिकार की घोषणा के लिए मुकदमे में,

वादी-प्रतिवादी केवल अपने स्वयं के शीर्षक के बल पर सफल हो सकते हैं न कि प्रतिवादी अपीलार्थियों के मामले की कमजोरी पर। यह बोझ वादी-उत्तरदाताओं पर है कि वे मुकदमे की संपत्तियों पर अपना अधिकार स्थापित करें ताकि यह दिखाया जा सके कि वे घोषणा के लिए डिक्री के हकदार हैं। वादी-उत्तरदाताओं ने न तो स्वामित्व दस्तावेज यानी पट्टा-पट्टा प्रस्तुत किया है, जिस पर वादी उत्तरदाता भरोसा कर रहे हैं और न ही कोई अन्य सबूत पेश करके अपना अधिकार साबित किया है। जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, उनके द्वारा भरोसा की गई राजस्व प्रविष्टियों को भी वास्तविक नहीं माना जाता है। किसी भी मामले में, कुछ खतौनियों के लिए राजस्व प्रविष्टियां स्वामित्व का प्रमाण नहीं हैं; लेकिन केवल हैं

राजस्व उद्देश्य के लिए विवरण। वे कोई अधिकार प्रदान नहीं कर सकते हैं या

45. यह देखते हुए कि स्वामित्व की घोषणा के लिए एक मुकदमे में, वादी उत्तरदाताओं को केवल अपने स्वयं के शीर्षक के बल पर सफल होना है, भले ही प्रतिवादी-अपीलकर्ता साबित हुए हों। भारत संघ बनाम में उनका मामला या नहीं। वासवी कूप। हाउसिंग सोसाइटी लिमिटेड, (2014) 2 एस. सी. सी. 269, यह एल. एस. सी. सी. पी. के तहत आयोजित किया गया था। 275 ,

पैरा 15)

" 15. यह एक तुच्छ कानून है कि स्वामित्व की घोषणा के लिए एक मुकदमे में, इस तरह की घोषणा देने के लिए एक स्पष्ट मामला बनाने और स्थापित करने का बोझ हमेशा वादी पर होता है और प्रतिवादियों द्वारा स्थापित मामले की कमजोरी, यदि कोई हो, तो उसे स्वीकार करने का आधार नहीं होगा। वादी को राहत "। " " "

25. उपरोक्त मामलों में इस न्यायालय द्वारा निर्धारित प्रस्ताव पर कोई विवाद नहीं हो सकता है। लेकिन वर्तमान में तथ्यों पर आते हैं

इस अपील को जन्म देने वाला वर्तमान मुकदमा, घोषणा के लिए मुकदमा नहीं था

अधिकार और अधिकार के बजाय मुकदमा निषेधाज्ञा के लिए दायर किया गया था। जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, उच्च न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित करने के लिए ठोस कारण दिए हैं कि वादी द्वारा निषेधाज्ञा के लिए दायर किया गया मुकदमा वर्तमान मामले के तथ्यों में वादी के स्वामित्व में प्रवेश किए बिना बनाए रखने योग्य था, विशेष रूप से पिछली मुकदमेबाजी को देखते हुए जो प्रतिवादी संख्या 1 के कहने पर शुरू की गई थी, जहां वह घोषणा और कब्जे की वसूली के लिए मुकदमा हार गया था। एक ही संपत्ति से। अपीलार्थियों के लिए विद्वान वकील का यह निवेदन कि प्रतिवादी द्वारा दायर साक्ष्य पर ध्यान नहीं दिया गया था, सही नहीं है।

21] 1 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

निचली अदालत के साथ-साथ उच्च न्यायालय ने न केवल मौखिक साक्ष्य पर ध्यान दिया है, बल्कि प्रतिवादी की ओर से दायर किए गए प्रदर्शनों पर भी ध्यान दिया है, जो उच्च न्यायालय द्वारा पैराग्राफ में की गई चर्चा से स्पष्ट है।

13 और 16.

26. हम उच्च न्यायालय के विचार में कोई त्रुटि नहीं पाते हैं कि प्रदर्शनी ए-1 और ए-2 की वैधता में प्रवेश करना आवश्यक नहीं था और वादी द्वारा दायर निषेधाज्ञा के लिए मुकदमा वादी के स्वीकृत और स्थापित कब्जे के आधार पर निर्णय के योग्य है। हम, इसलिए,

प्रथम अपीलीय न्यायालय के फैसले को दरकिनार करके और निचली अदालत के फैसले को बहाल करके वादी द्वारा दायर दूसरी अपील को अनुमति देने वाले उच्च न्यायालय के फैसले में कोई त्रुटि न पाएँ।

27. नतीजतन, अपील खारिज कर दी जाती है।

या

चिका खारिज कर दी गई।

अंकित ज्ञान